बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक–21.01.2016 की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।
2. बैठक को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा निदेशक भू–अर्जन द्वारा संबोधित किया गया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा उपस्थित सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को विभिन्न केन्द्रिय एवं राजकीय परियोजनाओं के तहत अर्जित की जानेवाली भूमि से संबंधित भू–अर्जन की कार्यवाही समय सीमा के भीतर निष्पादन करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही, शत–प्रतिशत हितबद्ध रैयतों को ससमय मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया तथा भू अर्जन की कार्रवाई में आ रही कठिनाईयों अथवा RFCTLARR Act–2013 से संबंधित संशय को निदेशक, भू अर्जन से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर हल करने हेतु निदेश दिया गया।
3. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि/गैरमजरूआ मालिक पर रैयती दावों के निष्पादन हेतु विभागीय निदेश निर्गत है। भू–अर्जन परियोजनाओं के अंतर्गत इस प्रकार के रैयती दावों का निष्पादन विभागीय निदेश के आलोक में करना सुनिश्चित किया जाय।
4. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया कि विभिन्न परियोजनाओं के तहत भू–अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रस्ताव के जांचोपरान्त नियमानुकूल पाये जाने की स्थिति में भू–अर्जन के लिए वांछित राशि की प्रारंभिक गणना कर अधियाची विभाग से राशि की मांग की जाय। तदोपरान्त SIA हेतु चयनित SIA यूनिट से R&R तथा SIA fee की विवरणी प्राप्त होने पर परियोजना हेतु प्राप्त राशि में से SIA के लिए 50 प्रतिशत राशि उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा SIA कार्य हेतु Notification निर्गत किया जाय। तदोपरांत अधियाची विभाग से SIA की राशि प्राप्त करने की लिए वांछित पत्राचार किया जाय।
5. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बिहार राज्य द्वारा चयनित ए0एन0सिन्हा संस्थान के पास कुल 50 से अधिक परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य हेतु प्रस्ताव लंबित है। अतः भविष्य में भू–अर्जन परियोजनाओं के लिए SIA प्रस्ताव अन्य 2 SIA चयनित संस्थाओं यथा–आद्री, पटना, चन्द्रगुप्त, पटना को SIA अध्ययन करने हेतु प्रस्ताव भेजा जाय।

6. राज्य की किसी भी परियोजना निर्माण के तहत यदि हितबद्ध रैयतों का घर का कुछ हिस्सा टूटता है अथवा मकान/दुकान के तुरंत बाद यदि सडक गुजरती है अथवा अगर किसी रैयत का घर/मकान/संरचना विरूपित हो रहा हो तो उसे पूरे घर/मकान/संरचना/दुकान का मुआवजा भुगतान करने हेतु दिशा–निदेश सभी समाहर्ताओं को विभाग स्तर से पत्र प्रेषित करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

7. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि हितबद्ध रैयतों को शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के बाद ही अधियाची विभाग को दखल कब्जा सौंपी जाय।

8. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों/अधियाची विभागों को सूचित किया गया कि माह– फरवरी, 2016 में विभाग द्वारा ASCI हैदराबाद के सहयोग से SIA, R&R एवं RFCTLARR Act-2013 के संबंध में कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। अतः उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न विशेष सचिव के मेल पर भेजने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया, ताकि उन्हें संकलित कर कार्यशाला में उन पर चर्चा [redacted] किया जा सके।

9. सर्वप्रथम बैठक में पथ निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं यथा–एस.एच., एन.एच, गंगा पथ एवं भारत–नेपाल सीमा पथ परियोजना की समीक्षा की गई।

10. पथ निर्माण विभाग द्वारा जन निजी भागी (PPP mode) दारी के तहत विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जित/अधिग्रहित भूमि के संबंध में निदेश दिया गया कि अर्जित भूमि पर मालिकाना हक केवल बिहार सरकार का होगा एवं परियोजना का निर्माण कार्य PPP के तहत किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग को यह भी निदेश दिया गया कि इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायें कि अर्जित भूमि पर मालिकाना हक पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की होगी।

11. एन0एच0–98 **पटना जिलान्तर्गत** कुल प्रस्ताव–12 पंचाट की सं0–10 दखल कब्जा की सं0–02 अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–33.43 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–11.28 करोड। 15.00 करोड अतिरिक्त राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। 0.781 हे0 सरकारी भूमि का पंचाट (3G) जिला स्तर पर लंबित। **अरवल जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि 11.0568 करोड़, मुआवजा भुगतान की राशि–5.35 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि में से 2.71 करोड राशि अधियाची विभाग को वापस करने हेतु एवं 3.00 करोड राशि को हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

12. एन0एच0–30ए–**पटना जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–20.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–5.24 करोड। इस माह में 15.00 करोड राशि कैम्प लगाकर हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा लक्ष्य दिया गया। **नालंदा जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–15.60 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–5.24 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि

अगले बैठक के पूर्व हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा लक्ष्य दिया गया। एलाइनमेंट में परिवर्तन से संबंधित जांच प्रतिवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु आर0सी0डी0 को निदेश दिया गया। अतिरिक्त भू अर्जन से संबंधित प्रस्ताव का 3जी. जांच के प्रकियाधीन।

13. एन0एच0–104– **सीतामढी जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–19.71 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि–9.86 करोड। आर0टी0जी0एस0 के द्वारा हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **शिवहर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–15.00 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि–13.00 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

14. एन0एच0–106– **सुपौल जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–28.32 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि–17.22 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **शिवहर जिलान्तर्गत** 3जी0 एस्टीमेंट दिनांक 28.1.2016 तक अधियाची विभाग को भेजने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

15. एन0एच0–80 (घोरघट पुल)– **मुंगेर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–6.00 करोड, मुआवजा भुगतान अविलम्ब करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **भागलपुर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–59.00 लाख, मुआवजा भुगतान की राशि–14.00 लाख। शेष मुआवजा भुगतान की राशि रेफरेस कोर्ट में जमा करते हुए अधियाची विभाग को दखल कब्जा सौंपने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। साथ ही, 03 परिवारों को पुर्नवासित करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को निदेशित किया गया।

16. एन0एच0–102– **सारण जिलान्तर्गत** 3ए प्रस्ताव एन0एच0ए0आइ0 को सौंपने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सारण को निदेशित किया गया।

17. एन0एच0–30–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा बताया गया कि NH-30 निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान लंबित है तथा अधियाची विभाग (पथ निर्माण विभाग) द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में पृच्छा किये जाने पर बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत सड़क परियोजना, भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की योजना है, जिसे पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य वर्त्तमान में स्थगित है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा उन्हें निदेशित किया गया कि अर्जनाधीन भूमि से संबंधित बकाया मुआवजा भुगतान पर अविलम्ब विभाग द्वारा निर्णय लिया जाय, ताकि रैयतों को मुआवजा राशि का भुगातन किया जा सके। साथ ही, इस परियोजना के लिए शेष भू–अर्जन पर अविलम्ब निर्णय लेने का भी निदेश दिया गया।

18. पथ निर्माण विभाग के उपस्थित पदाधिकारी द्वारा सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया गया कि एशियन विकास बैंक के तहत निर्माणधीन परियोजनाओं के तहत अर्जित/अधिग्रहित भूमि से संबधित हितबद्ध रैयतों को शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान ससमय सुनिश्चित की जाय, अन्यथा एशियन विकास बैंक द्वारा परियोजना की राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

19. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पथ निर्माण विभाग से संबंधित परियोजनाओं की प्राक्कलित राशि बी0एस0आर0डी0सी0 से मांग लें ताकि बी0एस0आर0डी0 राशि ससमय उपलब्ध करा सके।

20. एस0एच0–78 :– **पटना जिलान्तर्गत** 56 प्रस्ताव (पुराने अधिनियम के तहत) में से 51 प्रस्ताव का प्राक्कलन स्वीकृत, शेष 05 में से 03 प्रस्ताव का प्राक्कलन आयुक्त महोदय पटना स्तर पर एवं 02 प्रस्ताव में वन विभाग द्वारा वृक्षों/वन का प्राक्कलन उपलब्ध नही कराने के कारण लंबित। बकास्त भूमि के तहत पुनपुन अंचल में 42 रैयतों से संबंधित सरकारी भूमि का रैयतीकरण, दानापुर अंचल में 77 में 57 प्लाटों का रैयतीकरण एवं पटनासिटी अंचल में 209 में से 154 रैयतों से संबंधित सरकारी भूमि का रैयतीकरण किया गया है। नये अधिनियम के तहत प्राप्त प्रस्ताव में SIA की कार्रवाई की जा रही है। SIA हेतु आद्री, पटना को रैयतों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अधियाची विभाग से कुल प्राप्त राशि 180.00 करोड में से 151.24 करोड मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया गया है। **नालंदा जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि 132.00 में से 102.00 करोड़ मुआवजा भुगतान किया गया है।

21. एस0एच0–81–**भोजपुर जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 21.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–84.00 लाख। 6 गांव में कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। 17 गांव में मुआवजा भुगतान करने हेतु नोटिस हितबद्ध रैयतों को किया गया है परंतु रैयतों द्वारा नये दर से मुआवजा भुगतान की मांग की जा रही है। पंचाट की धोषणा हो चुकी है। अतः मुआवजा भुगतान की राशि को हितवद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करते हुये शेष राशि को सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **रोहतास जिलान्तर्गत**– मुआवजा भुगतान की राशि को हितवद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करते हुये शेष राशि 1.42 करोड़ राशि को सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेशित किया गया।

22. एस0एच0–90–**गोपालगंज जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 37.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–5.60 करोड। रैयतों द्वारा भूमि का किस्म/प्रकृति परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। मुआवजा भुगतान की राशि को हितवद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करते हुये शेष राशि 1.42 करोड़ राशि को सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेशित किया गया। **सारण जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 8.00 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–3.00 करोड़।

23. एस0एच0–86–**मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 21.77 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–7.50 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि माह–फरवरी, 2016 के बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

24. एस0एच0–87–**सीतामढी जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 47.10 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–12.12 करोड। 20.00 करोड राशि माह फरवरी 2016 के बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। 32 प्रस्ताव का प्राक्कलन स्वीकृत। 2 प्रस्ताव का प्राक्कलन समाहर्ता स्तर पर लंबित।

25. एस0एच0–91–**मधेपुरा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 20.76 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–3.88 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **सुपौल जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 30.00 लाख। मुआवजा भुगतान की राशि–0.346 लाख। शेष मुआवजा भुगतान राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

26. एस0एच0–83–**नवादा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 3.40 करोड। मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रकियाधीन है। **शेखपुरा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 1.02 करोड। मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रकियाधीन है। शेष राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

27. एस0एच0–88–**समस्तीपुर जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 60.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–56.00 करोड। **दरभंगा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 35.45 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–6.53 करोड। मुआवजा भुगतान की गति में तीव्र लाने हेतु निदेश दिया गया।

28. एस0एच0–89–**सीवान जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 18.77 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–शून्य। छाता बाइपास में फ्लाइ ओवर बनाने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा आर0सी0डी0 द्वारा उपस्थित पदाधिकारी को विचार करने हेतु निदेश दिया गया।

29. भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना–**पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत (बेतिया)**–91 प्रस्ताव आर0सी0डी0 से प्राप्त। 02 गांव पुराने एक्ट से प्रभावित। उक्त दोनो गांव में मुआवजा भुगतान करते हुए एक सप्ताह के अंदर दखल कब्जा अधियाची विभाग को सौपने का निदेश दिया गया। 23 प्रस्ताव का अधिसूचना सकार स्तर से निर्गत। 19 प्रस्ताव आयुक्त स्तर पर लंबित। शेष 49 अधियाचना प्रस्ताव अधियाची विभाग से त्रुटिपूर्ण प्राप्त। अधियाची विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण अग्रेतर कार्रवाई लंबित। प्राप्त प्रस्ताव में कतिपय त्रुंटियों का निराकरण कर शुद्ध रूप से जिला में समर्पित करने का निदेश अधियाची विभाग को दिया गया। साथ ही, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बेतिया को निदेश दिया गया कि त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव का निराकरण हेतु अधियाची विभाग को वापस करते हुए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को लिखित रूप से निदेश दें कि अधियाची विभाग को वांछित सहयोग करें। **पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत (मोतिहारी)**–48 प्रस्ताव आर0सी0डी0 से प्राप्त। 5 प्रस्ताव पुराने एक्ट से प्रभावित। उक्त मौजों में मुआवजा भुगतान की

कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 28 प्रस्ताव का अधिसूचना सरकार स्तर से प्रकाशित तथा 6 गांव का अधियाचना अप्राप्त। 01 गांव में भूमि की आवश्यकता नहीं। **सीतामढ़ी जिलान्तर्गत** कुल–61 प्रस्ताव में से 5 प्रस्ताव पुराने अधिनियम से प्रभावित। 38 प्रस्ताव धारा 11 के तहत सरकार स्तर पर प्राप्त। उक्त प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है। 17 प्रस्ताव न्यास/मंदिर/मस्जिद से संबंधित भूमि होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर अधियाची विभाग द्वारा जिला को समर्पित नहीं करने के कारण लंबित। 01 गांव में रेलवे से संबंधित भूमि। **मधुबनी जिलान्तर्गत** कुल–10 प्रस्ताव का अधिसूचना आयुक्त स्तर पर लंबित। शेष 7 गांव का अधिसूचना प्रस्ताव दिनांक 31.01.2016 तक विभाग स्तर पर उपलब्ध कराने हेतुं निदेश दिया गया। **सुपौल जिलान्तर्गत** कुल 07 मौजा में से 5 मौजा में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जारी है। उक्त 05 मौजा में से 01 मौजा में दखल कब्जा प्राप्त। शेष 4 मौजों में अगले माह की बैठक तक दखल कब्जा सौंपने हेतु निदेश दिया गया। **अररिया जिलान्तर्गत** कुल–64 प्रस्ताव में से 48 प्रस्ताव आयुक्त स्तर पर लंबित। 16 प्रस्ताव विभाग स्तर पर जांच के प्रकियाधीन है। **किशनगंज जिलान्तर्गत** कुल–65 प्रस्ताव में से 65 प्रस्ताव सरकार स्तर पर प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव में अभिलेखों की जांच की कार्रवाई की जा रही है।

30. **डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर**:–औरंगाबाद जिलान्तर्गत 9.7 हे0 सरकारी भूमि में से 1.37 हे0 गै0म0आम भूमि का प्राक्कलन अधियाची विभाग को प्राप्त। शेष जिला स्तर पर लंबित। कुल 48 प्रस्ताव में से 31 प्रस्ताव का अवार्ड घोषित। 16 गांव का प्रस्ताव नये सिरे से अवार्ड बनाकर अधियाची विभाग को दिनांक–31.01.2016 तक भेजने हेतु निदेश दिया गया। 01 गांव सरकारी भूमि से प्रभावित। **गया जिलान्तर्गत**–कुल 80 गांव में से 60 गांव का 20ई. की कार्रवाई पूर्ण। शेष 20 गांव में से 6 गांव में सरकारी भूमि से प्रभावित तथा 14 गांव का 20ई. की प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.01.2016 तक अधियाची विभाग को सौंपने हेतु निदेश दिया गया। 49 गांव में 20एफ. की कार्रवाई पूर्ण। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि 21.07 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि 6.01 करोड।

31. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण के तहत विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा की गई यथा–एन0टी0पी0सी0, पावर, लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक पार्क।

32. विद्युत ताप गृह परियोजना, पीरपैंती, भागलपुर–अधिग्रहित रकवा–1179.08 हे0। दखल कब्जा–1001.40 हेक0। प्राप्त राशि–821.67 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–659.00 करोड। अधियाची विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को निदेश दिया गया।

33. विद्युत ताप गृह परियोजना, चौसा, बक्सर–अधिग्रहित रकवा–1084.87 हे0। दखल कब्जा–1048.69 हेक0। प्राप्त राशि–354.62 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–135.49 करोड। अधियाची विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को निदेश दिया गया।

34. विद्युत ताप गृह परियोजना, कजरा, लखीसराय–अधिग्रहित रकवा–1262.65 हे0। दखल कब्जा–1089.08 हेक्0। प्राप्त राशि–199.06 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–197.58 करोड़। अधियाची विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को निदेश दिया गया।

35. जनउपयोगी भू–अर्जन, नालंदा–अधिग्रहित रकवा–482.42 हे0। दखल कब्जा–364.68 हेक्0। प्राप्त राशि–172.97 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–122.00 करोड।

36. मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा, पटना–अधिग्रहित रकवा–299.85 हे0। दखल कब्जा–299.00 हेक्0। प्राप्त राशि–300.00 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–295.00 करोड़।

37. **हाजीपुर–रामदयालुनगर दोहरीकरण रेल परियोजना**:–एस0आई0ए0 हेतु शुल्क राशि 23.65 लाख रूपये की मांग रेलवे से जिला भू अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई, जो अबतक अप्राप्त है। साथ ही, हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु कुल अनुमानित प्राक्कलित राशि 11.86 करोड रूपये की मांग जिला भू पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 266 दिनांक 6.5.15 एवं 299 दिनांक 25.5.15 द्वारा अधियाची विभाग से की गई है, जो अबतक अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई लंबित।

38. **कोशी महासेतु सुपौल**:–सरकारी भूमि का रैयतीकरण के बाद सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन हेतु आद्री, पटना को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रेषित किया गया है।

39. **छपरा–मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन**:–कुल 26 प्रस्ताव में से 13 प्रस्ताव का प्राक्कलन स्वीकृत। स्वीकृत प्रस्ताव की राशि की मांग रेलवे से की गई है। शेष 13 प्रस्ताव का प्राक्कलन दिनांक 31. 01.2016 तक रेलवे को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

40. **कुशेश्वर स्थान खगडिया रेल लाईन**–खगडिया जिलान्तर्गत–कुल 12 प्रस्ताव में से 12 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। ग्राम–चेराखेरा का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने के कारण अधियाची विभाग को प्रस्ताव वापस किया गया है। **दरभंगा जिलान्तर्गत**–कुल 7 प्रस्ताव में से 7 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। परन्तु प्राक्कलन लंबित।

41. **तिलैया कोडरमा रेल लाईन**–नवादा जिलान्तर्गत कुल 30 प्रस्ताव। 20 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। 10 गांव में शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान किया गया। रैयतों द्वारा पुराने दर से राशि प्राप्त करने से इंकार किया गया। उक्त के संबंध में निदेश दिया गया कि मुआवजा भुगतान की शेष राशि को हितबद्ध रैतयों मुआवजा भुगतान करते हुये सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेश दिया गया।

42. **राजगीर तिलैया नई रेल लाईन**–नवादा जिलान्तर्गत कुल 13 प्रस्ताव। 8 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दलख कब्जा–13 प्रस्ताव में।

43. **दनियावा–नेउरा रेल लाईन**–पटना जिलान्तर्गत– कुल 45 प्रस्ताव। 36 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दखल कब्जा–44 प्रस्ताव में। प्राप्त राशि–47.49 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–45. 76 करोड़।

44. **बिहारशरीफ–बरबीघा–शेखपुरा नई रेल लाईन**–शेखपुरा जिलान्तर्गत–जिला कुल 28 प्रस्ताव। 26 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दखल कब्जा–26, प्राप्त राशि–13.25 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–7.16 करोड। अगले माह की बैठक से पूर्व शेष मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

45. **बिहारशरीफ–बरबीघा नई रेल लाईन**–नालंदा जिलान्तर्गत–जिला कुल 01 प्रस्ताव। 01 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दखल कब्जा–01, प्राप्त राशि–0.56 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–0.16 करोड। अगले माह की बैठक से पूर्व शेष मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

46. **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956** के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में तथा एन0एच0ए0आई0 से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ की गई।

47. **एन0 एच0–57ए. परियोजनाः**–अररिया जिलान्तर्गत अतिरिक्त 5 हे0 में से 2.67 हे0 का 3जी0 प्रस्ताव एन0एच0ए0आइ0 स्तर पर लंबित। शेष भूमि का 3जी0 प्रस्ताव दिनांक 27.01.2016 तक एन0एच0ए0आइ0 को भेजने हेतु निदेश दिया गया। प्राप्त राशि–64.99 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–60.28 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि दिनांक– 15.2.2016 तक हितबद्ध रैयतों को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

48. **एन0 एच0 02 (6 लेन औरंगाबाद से वाराणसी) परियोजनाः– औरंगाबाद जिलान्तर्गत** 26 ग्राम में से 26 का पंचाट घोषित। 23 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। प्राप्त राशि–173.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–46.00 करोड। **कैमूर जिलान्तर्गत** 34 मौजा में से 34 मौजा का अवार्ड घोषित। 34 मौजा का दखल–कब्जा अधियाची विभाग प्राप्त। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–82.24 करोड़ में से 61.00 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान की गई है। **रोहतास जिलान्तर्गत कुल** 26 प्रस्ताव में से 22 का पंचाट घोषित तथा शेष 4 प्रस्ताव का आवार्ड NHAI पर लंबित। प्राप्त राशि–78.70 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–57.14 करोड। सात करोड़ और राशि अगले बैठक तक मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

49. **एन0 एच0–02 (6 लेन औरंगाबाद से बरवाअड्डा) परियोजनाः–औरंगाबाद जिलान्तर्गत** कुल 10 प्रस्ताव में से 9 प्रस्ताव का अवार्ड घोषित। 1 मौजा डि–नोटिफाई करने के संबंध में एन0एच0ए0आई0 को पुनः निदेश दिया गया। कुल–15.1931 हे0 सरकारी भूमि में से 5.22 हे0 केसरे हिन्द भूमि/भारत सरकार से संबंधित रहने के कारण एक सप्ताह के भीतर अधियाची विभाग को सौपने का निदेश दिया गया तथा 6.65 हे0 राज्य सरकार की भूमि से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब निदेशालय भेजने हेतु निदेश दिया गया। 3 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव आयुक्त स्तर पर लंबित। 3 गांवा में मुआवजा भुगतान हेतु हितबद्ध रैयतों को नोटिस भेजा गया है। गया जिलान्तर्गत 11.3 हेक0 सरकारी भूमि का प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–130.00 करोड़ में से 17.19 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान की गई है।

50. **एन0 एच0–30 एवं 84:– बक्सर जिलान्तर्गत 42** ग्राम में से 42 ग्राम का पंचाट घोषित। 42 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–102.00 करोड़ में से 26.00 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान की गई है। शेष राशि के भुगतान के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान की राशि प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक भू–अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद भी मुआवजा भुगतान नहीं प्राप्त किये जाने वाले रैयतों की मुआवजा राशि रेफरेन्स न्यायालय में जमा करें। **भोजपुर जिलान्तर्गत** 55 ग्राम में से 55 ग्राम का पंचाट घोषित। 47 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 55.00 करोड राशि में से 14.62 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है। कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। **पटना जिलान्तर्गत**– कुल 963.00 करोड प्राप्त राशि में 305.00 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

51. **एन0 एच0–83 (पटना–गया–डोभी):–गया जिलान्तर्गत कुल** 62 ग्राम में से 62 का पंचाट घोषित। 61 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 130.00 करोड राशि में से 95.16 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है। 207 मामला आर्बिट्रेशन में लंबित। **जहानाबाद जिलान्तर्गत** 70 मामले का पंचाट आर्बिट्रेशन के निर्णय के आधार पर तैयार कर NHAI को प्रेषित। कुल 125.00 करोड प्राप्त राशि में 52.79 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। **पटना जिलान्तर्गत** सभी 31 गांव का दखल–कब्जा अधियाची विभाग को सौंपा गया है। कुल 853.00 करोड प्राप्त राशि में 432.00 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है।

52. एन**0 एच0–82 (बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा)**:–नालंदा जिलान्तर्गत कुल 11 गांव में से 11 गांव का अवार्ड घोषित। कुल प्राप्त राशि–80.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–2.00 करोड़। कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

53. **गंगा रेल–सह–सडक पुल का पहुँच पथ मुंगेर –मुंगेर** जिलान्तर्गत 3(D) प्रस्ताव जिला स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित। उक्त प्रस्ताव में अधियाची विभाग द्वारा 3(D) प्रारूप में खतियानी रैयतों का नाम अंकित कर दिये जाने के कारण अग्रेतर कार्रवाई लंबित। 3(D) प्रस्ताव में वर्त्तमान रैयतों का नाम अंकित करते हुए 3(D) प्रस्ताव जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराने हेतु अधियाची विभाग को निदेश दिया गया।

54. **एन0 एच0–85 (छपरा–गोपालगंज)**:–गोपालगंज जिलान्तर्गत कुल 26.00 करोड़ प्राप्त राशि में 18.00 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। **सिवान जिलान्तर्गत** 18 ग्राम में से 7 का पंचाट घोषित। शेष 11 ग्राम का 3जी. एन0एच0ए0आइ0 के स्तर पर लंबित। 07 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 53.50 करोड़ राशि में से 23.50 करोड़ राशि मुआवजा हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है। **सारण जिलान्तर्गत** 5 ग्राम में से 5 का पंचाट घोषित। 05 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 12.44 करोड राशि में से 11.01 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया गया है।

55. **एन0 एच0–77 (मुज0–सोनवरसा)**:–मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बेदौल असली की समस्या को एक सप्ताह के अंदर हल करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेशित।

56. **एन0 एच0–19 (छपरा–हाजीपुर)**:–सारण जिलान्तर्गत 79 ग्राम में से 79 का पंचाट घोषित। 79 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 243.0 करोड राशि में से 237.00 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है।

57. **एन0 एच0–31 (खगडिया–बख्तियारपुर)**:–पटना जिलान्तर्गत 48 ग्राम में से 45 का पंचाट घोषित। 22 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 71.00 करोड राशि में से 49.00 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है।

58. भू–अर्जन से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपील, सी0 डब्लू0 जे0 सी0, एल0 पी0 ए0, इत्यादि मामलों का निष्पादन हेतु वांछित कार्रवाई ससमय पूरा करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को पुनः दिया गया। बैठक में इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय किया जाय। न्यायादेश का अनुपालन में विलंब होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकार के विरूद्ध अवमाननावाद याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर किये जाते हैं। फलस्वरूप सरकार स्तर पर अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा राजकीय कोष का अपव्यय भी होता है।

59. जिन शिकायत एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों निदेश दिया गया।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

28.1.16

(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

ज्ञापांकः—14/डी0एल0ए0—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011— 183/रा0 पटना, दिनांक— 29-01-2016.

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/कोसी/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू—अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना—800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन—II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0—63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय/कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

29.1.16

(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक—सह—विशेष सचिव,
भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14/डी0एल0ए0—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011— 183/रा0 पटना, दिनांक— 29-01-2016.

प्रतिलिपिः—आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

29.1.16
निदेशक—सह—विशेष सचिव,
भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14/डी0एल0ए0—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011— 183/रा0 पटना, दिनांक— 29-01-2016.

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29.1.16
निदेशक—सह—विशेष सचिव,
भू—अर्जन।

D:\Pappu\Niranjan ji\2016\Proceeding\Proceeding_21-01-2016.docx

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19 / 2011....183/रा.पटना, दिनांक–29-01-2016.

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग / प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / भागलपुर / मुंगेर / मगध / पुर्णियां / कोसी / सारण / तिरहुत / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता / नि0 / भूमि / महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना / ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना / चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय / कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/16

(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

D:\Pappu\Niranjan ji\2016\Proceeding\Proceeding_21-01-2016.docx

ज्ञापांकः—14/डी0एल0ए0—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011.........................पटना, दिनांक—...................2016.

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/कोसी/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू—अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना—800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन—II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0—63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय/कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक—सह—विशेष सचिव,
भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14/डी0एल0ए0—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011..183/रा..पटना, दिनांक—29-01-2016.
प्रतिलिपिः—आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

29/1/16

निदेशक—सह—विशेष सचिव,
भू—अर्जन।

ज्ञापांकः–14/डी0एल0ए0–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19/2011........................पटना, दिनांक–..................2016.

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/कोसी/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय/कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

ज्ञापांकः–14/डी0एल0ए0–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19/2011........................पटना, दिनांक–......................2016.

प्रतिलिपिः–आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/–
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

ज्ञापांकः–14/डी0एल0ए0–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19/2011 183/रा० पटना, दिनांक– 29-01-2016.

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29.1.16
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।